भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3151
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

केरल में जल जीवन मिशन

†3151. श्री एम. के. राघवनः
एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार के संज्ञान में है कि केरल में जल जीवन मिशन (जेजेएम) अपर्याप्त निधियों और ठेकेदारों के लंबित बकाया के कारण ठप हो गया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इसे निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने 2025 के दौरान केरल में जेजेएम के लिए केंद्र सरकार का हिस्सा जारी कर दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार के पास केरल में जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई कुल धनराशि के आंकड़े हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) केरल में जेजेएम के अंतर्गत परियोजनाओं के पूरा होने की वर्तमान स्थिति क्या है और आज की तिथि तक पूरे किए गए कार्य का प्रतिशत, केंद्र द्वारा जारी की गई धनराशि, राज्य का हिस्सा और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा जेजेएम के अंतर्गत परियोजना को बढ़ाई गई समय-सीमा के अंदर पूरा करने के लिए राज्य को धनराशि जारी करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (च): भारत सरकार ने अगस्त 2019 में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है। शुभारंभ के समय, सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय को भी मंजूरी दी। स्वीकृत किए गए केंद्रीय परिव्यय का लगभग पूरा उपयोग किया जा चुका है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन राज्य ही करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर अनेक परियोजनाएं साथ-साथ कार्यान्वित की जाती हैं। अत: ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के परियोजना-वार ब्यौरे राज्य सरकार के स्तर पर रखे जाते हैं जिनमें, *अन्य बातों के साथ-साथ*, ठेकेदारों को लंबित बकाया के ब्यौरे शामिल हैं। केन्द्रीय आबंटित निधि, आहरित निधि और केरल राज्य द्वारा सूचित उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

	केन्द्रीय					राज्य हिस्से के अंतर्गत व्यय
वर्ष	अथ-शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	2.58	248.76	101.29	103.87	62.69	57.23
2020-21	41.18	404.24	303.18	344.36	304.29	311.25
2021-22	40.07	1,804.59	1,353.44	1,393.51	957.44	1,059.57
2022-23	436.08	2,206.54	2,206.54	2,642.62	1,741.93	1,741.68
2023-24	900.69	1,342.36	671.18	1,571.87	1,465.41	1,448.53
2024-25	106.45	1,949.36	974.68	1,081.13	1,081.13	1,403.70

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

केरल राज्य ने सूचित किया है कि राज्य की ग्रामीण आबादी को पाइपगत जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जेजेएम का कार्य प्रगति पर है, तथापि, निधियों की कमी के कारण कार्यान्वयन की गति धीमी हो गई है।

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव पर ध्यान देने के साथ मिशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान वर्धित कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

*****